



उत्तरांचल सरकार

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग- सण्ड ( )

(परिनिघत आदेश)

देहरादून: दिनांक: 14/4/03, 2003 ई०

संख्या

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या- 01 / कृषि / 2003/1(242)2002

देहरादून: दिनांक 14/4/03/2003

अधिसूचना

बीज अधिनियम (अधिनियम संख्या-54 सन् 1966) की धारा-4(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री महामहिम राज्यपाल महोदय बीज परीक्षण प्रयोगशाला हलहानी (बुनीताल) को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से संपूर्ण उत्तरांचल राज्य हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला घोषित करते हैं तथा बीज अधिनियम -66 की धारा -13 (1) व (2) के अधीन घोषित बीज निरीक्षकों द्वारा आहरित बीज नमूनों के परीक्षण हेतु अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के अधिकारी को बीज अधिनियम की धारा -12 के अधीन बीज विश्लेषक नियुक्त करते हैं, जिसका अधिकारिता क्षेत्र संपूर्ण उत्तरांचल होगा।

आज्ञा से,

(डा०आर०एस०टी०लिया)

प्रमुख सचिव

संख्या- 01 / कृषि / 2003 तददिनांक

प्रतिशेषि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, कन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. कृषि निदेशक/अपर कृषि निदेशक, उत्तरांचल पीडी।
4. संपूर्ण कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) /उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) कृषि निदेशालय उत्तरांचल पीडी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बीज एवं तराई विकास निगम फत्तनगर, पो०हल्दी उधमसिंह नगर, उत्तरांचल।
6. निदेशक, उत्तरांचल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था देहरादून।
7. समस्त कार्यवाह्याध्यक्ष कृषि विभाग, उत्तरांचल।

अधीनस्थ राज्यपाल-मुख्यालय रुड़की को अंग्रेजी अनुवाद के साथ 200प्रतियों के प्रकाशन हेतु।

(डा०पी०एस०गुप्त)

आर सचिव

3

9/1/03  
17/2

अधीनस्थ  
गुणवत्ता  
नियंत्रण

बीज परीक्षण प्रयोगशाला  
हलहानी  
बुनीताल  
उत्तरांचल  
दिनांक 14/4/03  
20/4/03

0